UPSP010063002026

न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।

पीठासीन अधिकारी– श्री श्रेय शुक्ला, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code– UP3845

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2513/2026

मुरतजीम पुत्र इरशाद उर्फ भूरा, निवासी दतौली मुगल, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी।

मु०अ०सं०–167/2026
धारा– 69, 352, 351(2), 333 बी.एन.एस.
थाना–फतेहपुर, जिला–सहारनपुर।

11.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **मुरतजीम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 167/2026 धारा– 69, 352, 351(2), 333 बी.एन.एस., थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा के अन्तर्गत कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **राव नौशाद पुत्र इरशाद उर्फ भूरा** का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया को गांव के ही मुरतजीम पुत्र इरशाद उर्फ भूरा के द्वारा शादी का झांसा देकर पिछले एक साल से वादिया के घर आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसकी वीडियो बनायी। जब वादिया द्वारा शादी के लिए कहा तो शादी करने से मना कर दिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। दिनांक 20.03.2026 को जब वादिया घर पर अकेली थी तब मुरतजीम व उसके दोस्त इन्शाद उर्फ चव्वनी उसके घर आए और मुरतजीम से दोबारा शादी करने को कहने पर उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके भाई आशकार को जान से मारे की धमकी देकर गाली–गलौच करते हुए चले गए। ये सारी बाते वादिया द्वारा अपनी मां को बतायी। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से बहस की गयी है कि प्रार्थी का नाम गलत तथ्य दर्शाकर झूठा लिखाया गया है जबकि प्रार्थी निर्दोष है। उपरोक्त वाद की घटना से प्रार्थी का कोई मतलब वास्ता नहीं है न ही प्रार्थी के खिलाफ उपरोक्त

धाराओं का कोई अपराध बनता है। प्रार्थी द्वारा वादिया के साथ उसके घर में घुसकर उसके साथ शादी का झांसा देकर कभी बलात्कार नहीं किया न ही गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी का नाम गांव की पार्टी बाजी व रंजिश के कारण इस मुकदमें में लिखाया गया है। जिस प्रकार वादिया ने घटना होना दिखायी है वह बिल्कुल गलत एवं झूठ है। प्रार्थी शादीशुदा व्यक्ति है जिसके तीन बच्चे हैं इस कारण प्रार्थी द्वारा वादिया से शादी का झांसा देने का कोई प्रश्न नहीं है। वादिया व प्रार्थी गांव के ही है और वादिया के घर के पास ही प्रार्थी का गांव है जिस कारण इस प्रकार की घटना होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। वादिया गांव के रिश्ते में प्रार्थी की चचेरी बहन लगती है तथा प्रार्थी को अच्छी तरह से जानती पहचानती है तथा यह भी जानती है कि प्रार्थी शादीशुदा है तथा तीन बच्चे है इस कारण प्रार्थी द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर इस तरह की घटना करना संभव नहीं है। प्रार्थी के पिता गांव के पूर्व प्रधान है तथा प्रार्थी का भाई भी प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहा है इसी कारण प्रार्थी के नाम यह झूठा मुकदमा लिखाया गया है। प्रार्थी दिनांक 05.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में गलत कथन किये गये हैं। जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त पर वादिया/पीड़िता को शादी का झांसा देकर पिछले एक साल से वादिया/पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने एवं पीड़िता द्वारा आवेदक/अभियुक्त को शादी करने को कहने पर अभियुक्त द्वारा शादी से मना करने एवं पीड़िता द्वारा दोबारा शादी की बात कहने पर उसकी अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दिये जाने का आक्षेप है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता की आयु 23 साल है तथा कक्षा 5 तक पढ़ी है। आवेदक/अभियुक्त की आयु 33 साल है जो कि व्यस्क एवं शादीशुदा है। केस डायरी पर अंकित पीडिता के बयान अंतर्गत धारा– 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व बयान अंतर्गत धारा– 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पीड़िता द्वारा तहरीर में किये गये कथनों का समर्थन किया है। पीड़िता ने चिकित्सीय परीक्षण के दौरान चिकित्सक को दिये गये बयान में आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ पिछले 1 वर्ष से शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने व पीड़िता की फोटो व वीडियों बनाये जाने का कथन किया है। वादिया के बयान के परीशीलन उपरान्त प्रथम दृष्टया अभियुक्त द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार का अपराध कारित करना प्रतीत होता है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में साक्ष्यों को प्रभावित किए

जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कथित अपराध महिला के विरूद्ध एवं गम्भीर प्रकृति का है। मामले के गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना केस डायरी में संकलित साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, आवेदिक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **मुरतजीम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

जमानत आदेश की एक प्रति मेल व डाक से **जेल अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर** को प्रेषित की जाये।

दिनांक 11.06.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय–प्रथम,
सहारनपुर।
J.O. Code– UP3845

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.06.17 14:21:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court